प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) पंचायत समिति, चूरू

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

करुणा झाड़ि बनाम रामस्वरूप सारण

दावा बाबत नाम दुरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 127/2022

निर्णय दिनांक :– 15.06.2022

वादी की ओर से ...एकल...की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2022 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा वादी स्वीकार किया जाकर राही गांव दाणी लालसिंह पुत्र की भूमाकरी के खाता नं. 1100 व 1054 में इंदिरा कन्या पुत्री बनवारीलाल के स्थान पर करुणा पुत्री बनवारीलाल, ममता पुत्री भगोती प्रसाद के स्थान पर पूजा पुत्री भगोतीप्रसाद, मीनू पुत्री भगोतीप्रसाद के स्थान पर अंजना पुत्री भगोतीप्रसाद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार उमराऊ राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील दायर करें। वादी के इस मुकदमे से आपसी सुलहनामा दर्ज होने पश्चात की राशि वापस करने का पूर्व नाम ही मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

ना० सं० 471
20.06.2022